राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 98 / 2023 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी–केनरा बैंक, शाखा–पुर रोड, भीलवाड़ा

बनाम

1. मैसर्स आर.एस. फर्नीचर प्रो0 राधेश्याम कीर पुत्र बालूराम कीर निवासी 9–जेड डी–15, पटेल नगर योजना, भीलवाड़ा
2. सावित्री देवी पत्नि राधेश्याम कीर निवासी 9–जेड डी–15, पटेल नगर योजना, भीलवाड़ा

—– प्रार्थी —–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी– श्री भूपेन्द्र सिहारा।

निर्णय

दिनांक : 04-08.2023

प्राधिकृत अधिकारी – केनरा बैंक, शाखा–पुर रोड, भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी, जिसमें अप्रार्थी को 20,00,000/– रूपये का ऋण दिनांक 07.01.2021 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति–**रिहायशी मकान प्लॉट नं. 9–जेड–डी–15, पटेल नगर योजना, भीलवाड़ा में स्थित है जो श्रीमती सावित्री देवी पत्नि राधेश्याम कीर के नाम से है, जिसके पड़ौस पूर्व–प्लॉट नं. 9–जेड–डी–18, पश्चिम–रोड, उत्तर–प्लॉट नं. 9–जेड–डी–16, दक्षिण–प्लॉट नं. 9–जेड–डी–14 है** (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 05.04.2023 तक कुल बकाया ऋण की राशि 20,13,028.88/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को दिनांक 17.03.2023 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।